# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 29/2021

**प्रार्थीगण :–**

1. लाधाराम पुत्र भेराराम वगैरा (3)
   जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण :–**

1. राणाराम वल्द पीराराम वगैरा (11)
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थितः–
1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

## –:: आदेश ::–

दिनांक :– 20.10.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **अणखिया** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा नाईयों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 29–17 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 2–10 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा नाईयों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 29–17 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 2–10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर [illegible] पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– [illegible] कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा [illegible] आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना [illegible] से पुलिस इमदाद प्राप्त [illegible] अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामा[illegible] बाद पालना, पालना प्रतिवेद[illegible] करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **अणखिया** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:17 IST
Reason: SelfAttested